



Neutral Citation No-2026:AHC:9887

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5300 वर्ष 2025

इंदु प्रकाश याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम जनम शाही

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता अपील संख्या-1414 वर्ष 2023 (इंदु प्रकाश बनाम सोभावती) में चकबंदी के निपटान अधिकारी के समक्ष उसकी ओर से दायर अभियोग आवेदन के लंबित होने से व्यथित हैं।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य प्रतिपक्षी के लिए स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने और एक अभिलेखों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही में सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.1997 से व्यथित होने के बाद, इंदु प्रकाश (याचिकाकर्ता) ने 17.04.2023 को अपील दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने 10.03.2025 को एक अभियोग आवेदन दायर किया, जिसमें कुछ इच्छुक व्यक्तियों को अपील के पक्षों की सरणी में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था।
4. चकबंदी के निपटान अधिकारी ने दिनांक 02.06.2025 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त अभियोग आवेदन के मार्जिन में यह निर्देश दिया है कि अपील की अंतिम सुनवाई के समय इसका निर्णय लिया जाएगा। व्यथित होने के कारण याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण को प्राथमिकता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दी। चकबंदी के उप निदेशक ने रखरखाव के आधार पर संशोधन को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रकृति में इंटरलोक्यूटरी है।

5. मैं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तुत निवेदन से सहमत हूं कि अपील की अंतिम सुनवाई के समय तक अभियोग आवेदन के निपटान को स्थगित करने से मुकदमेबाजी और बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो प्रस्तावित प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता होगी।

6. स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर अभियोग आवेदन पर निर्णय लेने के लिए चकबंदी के निपटान अधिकारी को निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. उपरोक्त के रूप में इस परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रस्तुत रिट याचिका को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसमें समेकन के निपटान अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-3) को लंबित अपील में प्रस्तुत याचिकाकर्ता की ओर से दायर 10.03.2025 के अभियोग आवेदन पर, अधिमानतः इस आदेश की निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

8. यह अपवाद है कि अनावश्यक स्थगन दिए बिना, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, कानून के अनुसार, अभियोग आवेदन पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

9 जनवरी, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)